



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 664 राँची, सोमवार,

21 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-54/2017-11513 (HRMS)/ श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-818/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला के विरुद्ध उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-52/म0को0, दिनांक 13.01.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री तिर्की के विरुद्ध मनरेगा अंतर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, मनरेगा कानून का उल्लंघन करने, प्रखंड अंतर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने, फलतः सरकारी राशि के गबन/दुरुपयोग में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7340, दिनांक 20.06.2017 एवं पत्रांक-8606, दिनांक 03.08.2017 द्वारा श्री तिर्की से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री तिर्की द्वारा अपने पत्रांक-81/रा0, दिनांक 06.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। श्री तिर्की द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) वर्ष 2007-08 में कामडारा प्रखंड में नरेगा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण योजना की स्वीकृति एवं राशि का भुगतान जिला स्तर से किया गया था।

(ii) कामडारा प्रखण्ड अन्तर्गत जेट्रोफा की खेती एवं फलदार वृक्षारोपण हेतु स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण पुनर्निर्माण सहकारिता संस्थान, सिसई के चयन, योजनाओं में राशि विमुक्ति करने की कार्रवाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जिला स्तर से ही योजनाओं की स्वीकृति के साथ ही प्राक्कलित राशि की 50% राशि विमुक्त की गई।

(iii) गुमला जिला अन्तर्गत कामडारा प्रखण्ड में जेट्रोफा एवं फलदार वृक्षारोपण हेतु निर्गत आदेशों में योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अतिरिक्त वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला; संबंधित अंचल के वन विभाग के पदाधिकारी; जिला उद्यान पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी का उत्तरदायित्व था। इस प्रकार उक्त योजनाओं का सफल कार्यान्वयन एक सामूहिक जिम्मेवारी थी।

(iv) उप विकास आयुक्त, गुमला के आदेश के आलोक में योजनाओं के अंतर्गत लगाये गये जीवित पौधों/वृक्षों की जाँच उनके द्वारा की गई थी एवं जाँचोपरांत स्थल पर किये गये कार्यों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था।

(v) कामडारा प्रखण्ड में नरेगा योजना अन्तर्गत जेट्रोफा एवं फलदार वृक्ष लगाने हेतु स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण पुनर्निर्माण सहकारिता संस्थान, बाजारटांड, सिसई को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया था। स्वयंसेवी संस्था द्वारा योजना अन्तर्गत खाद के क्रय से संबंधित फर्जी विपत्र समर्पित करने के कारण उनके द्वारा कामडारा थाना कांड सं0-36/08 दर्ज की गई है।

(vi) आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में योजनाओं के अन्तर्गत जीवित पौधों एवं वृक्षों की संख्या स्वीकृत संख्या से बहुत कम प्रतिवेदित की गई थी, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया था कि स्वयंसेवी संस्था द्वारा राशि का गबन कर लिया गया है। इसके आधार पर खाद क्रय में गबन किये गये सरकारी राशि को सम्मिलित करते हुए नीलाम पत्र पदाधिकारी, गुमला के न्यायालय में गबनगत राशि की वूसली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर कर संस्था की देय राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला में जमा कर दिया गया है।

(vii) श्रीमती स्मिता चुघ, सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार योजनाओं अन्तर्गत राशि की उपयोगिता में पायी गयी भिन्नता योजना के लिए स्वीकृत प्लॉट में परिवर्तन के कारण है। योजना के क्षेत्रीय जाँच के क्रम में स्वीकृत प्लॉटों से इतर अन्य प्लॉटों पर कराये गये वृक्षारोपण को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(viii) श्री जी0आर0 जुनेजा, नेशनल लेवल मॉनिटर द्वारा योजनाओं की जाँचोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि- "On the basis of field visit to village and interaction with rural beneficiaries it appears that the complaints are motivated and malicious."

श्री तिर्की के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-713, दिनांक 24.01.2018 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-880/म0को0 दिनांक 06.08.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, गुमला द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते प्रखण्ड अन्तर्गत संचालित मनरेगा योजनाओं के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व श्री तिर्की पर प्रमुख से था।

(ii) वृक्षारोपण योजनाओं में अनियमितता के प्रकाश में आने के बाद श्री तिर्की द्वारा उप विकास आयुक्त, गुमला के आदेश के आलोक में जाँच की गई।

(iii) मनरेगा अधिनियम के अनुसार मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते प्रखण्ड में संचालित मनरेगा योजना में नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण, एम0आई0एस0 इत्यादि का उत्तरदायित्व मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी का ही है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उपायुक्त गुमला के मन्तव्य से सहमत होते हुए श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला के विरुद्ध के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DILIP TIRKEY BHR/BAS/3810	श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0 (कोटि क्र0-818/03) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला के विरुद्ध के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
